कार्यालय, नगर पालिक निगम,भिला

फोन न. 0788-2350125, फैक्स न. 0788-4040118

क्रमांक / परि0शा0 / न0नि0 / 2025 / 3231 भिलाई, दिनांक 12/12/2025

/ / रुचि की अभिव्यक्ति / /

विषय – नेहरु नगर चौक में निर्मित घडी, फाउंटेन, शहीद स्मारक, झण्डा एवं गार्डन का रख–रखाव हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किये जाने बाबत्।

परिचय –

नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 04 नेहरु नगर चौक में निर्मित घडी, फाउंटेन, शहीद स्मारक, झण्डे एवं गार्डन का निर्माण किया गया है। उक्त स्थल का निर्माण शहीदों के याद में बनाया गया है। झण्डे को 26 जनवरी एवं 15 अगस्त को नवीन झण्डे लगाकर ध्वजरोहण किया जाता है।

रुचि की अभिव्यकित –

विषयांकित कार्य में लिफाफ पद्धति से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। प्रथम लिफाफा 'अ' में तकनीकी दस्तावेज एवं द्वितीय लिफाफा 'ब' में वित्तीय ऑफर प्रदाय किया जाना होगा। रुचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने वाले को लिफाफा 'अ' एवं 'ब' को **एक बडे लिफाफे में डालकर स्पीड पोस्ट / रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से दिनांक 05.01.2026 को सायं 5:30 बजे तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत लिफाफा दिनांक 08.01.2026 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।**

लिफाफ – 'अ'

1. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (कंपनी / PWD / गुमास्ता / NGO / अन्य शासकीय विभाग में पंजीकृत)
2. जी.एस.टी. प्रमाण पत्र (विगत 06 माह का GST Clearance Certificate)
3. पेन कार्ड
4. मोबाइल नंबर एवं पता
5. Presentation (संचालन संधारण रख–रखाव एवं व्यवसायिक उपयोग) का कान्सेप्ट प्लान

लिफाफ – 'ब'

वित्तीय ऑफर (निर्धारित प्रपत्र)

//नियम शर्त//

1. रुचि की अभिव्यक्ति 03 वर्ष हेतु आमंत्रित की जा रही है एजेंसी के कार्य प्रणाली को देखते हुए समयावधि में वृद्धि या कमी सक्षम स्वीकृति उपरांत की जा सकेगी।
2. गार्डन के साफ--सफाई, लाईटिंग एवं अन्य संबंधित कार्य एजेंसी को किया जाना होगा।
3. गार्डन में प्रवेश निःशुल्क रहेगा।
4. किसी भी प्रकार की अवैधानिक कियाकलाप/नशीली चिजों की बीकी पूर्णताः प्रतिबंधित रहेगा।
5. घडी के अंदर निर्मित गार्डन में किसी प्रकार की घटना होने पर एजेंसी की संपूर्ण जवाबदेही होगी।
6. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम होगा।
7. अनुबंध समाप्ति होने पर गार्डन प्रदाय स्थिति में उपलब्ध कराना होगा। अनुबंध समाप्त होने पर किसी भी प्रकार का देनदारी एजेंसी को प्रदाय नहीं किया जाएगा।
8. एजेंसी को राशि रु. 01.00 लाख मात्र का FDR आयुक्त/कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई के नाम पर रजिस्टर/अनुसूचित बैंक से तैयार कर लिफाफा अ में प्रेषित किया जाना होगा।
9. रुचि की अभिव्यक्ति में भागीदार एजेंसी को राशि रु. 100.00 के स्टांप पेपर पर ब्लैक लिस्ट, बैंककप्ट एवं रिशतेदार न होने का जमा किया जाना अनिवार्य होगा। स्टांप पेपर लिफाफा अ में प्रस्तुत करना होगा।
10. एजेंसी को घडी के अंदर निर्मित गार्डन में किये जाने वाले व्यवसायिक उपयोग, संचालन, संधारण एवं अन्य एक्टीवीटी का प्रजेन्टेशन प्रस्तुत करना होगा।
11. एजेंसी द्वारा किसी भी अन्य उपयोग हेतु नगर पालिक निगम भिलाई से अनुमति उपरांत ही किया जाना होगा।
12. एजेंसी को स्वच्छता संबंधित नियमों का पालन करना होगा।
13. स्वच्छ भारत मिशन एवं व्यवसायिक नियमों का पालन अनिवार्यतः किया जाना होगा।
14. रुचि की अभिव्यक्ति में वांछित दस्तावेज प्राप्त न होने पर भागीदार फर्म का वित्तीय ऑफर नहीं खोला जाएगा।

15. रुचि की अभिव्यक्ति में वांछित दस्तावेज प्राप्त न होने पर भागीदार फर्म का वित्तीय ऑफर नहीं खोला जाएगा।

16. चौक में निर्मित घडी, फाउटेंन, झण्डा का संचालन एवं संधारण किया जाना होगा।

17. प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस में शहीदों के सम्मान में मालाअर्पण नवीन झण्डे, गार्डन की साफ–सफाई करना आवश्यक होगा।

18. रख–रखाव न करने की स्थिति में एजेंसी को राशि रु. 5000.00 प्रति दिवस के आधार पर अर्थदण्ड लगाया जाएगा।

19. एजेंसी को घडी चलित अवस्था में एवं प्रतिदिवस फाउटेंन चलाना अनिवार्य होगा।

कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई	सहायक अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई	उपअभियंता नगर पालिक निगम भिलाई